

संपादकीय / लेख



फैसल शेख
(प्रधान संपादक)

सुधारों व नियमों की नई परिपाटी करनी होगी स्थापित

आय प्रमाणपत्र की जरूरत पर आम आदमी के अधिकार अगर अदालत के दरपेश सरकारी कार्यसंस्कृति का निकम्पापन साबित हो सकते हैं, तो जनता की व्यथा का अंदाजा लगाया जा सकता है। माननीय हाई कोर्ट ने आनी के तहसीलदार की कार्यशैली पर प्रतिकूल टिप्पणी नहीं, बल्कि सरकारी व्यवस्था के कर्ताधताओं पर गंभीर प्रश्न चिन्ह लगाए हैं। हैरानी यह कि तमाम गारंटियों, सुशासन के वादों और नित नए प्रयोगों के बावजूद दर्द वहीं का वहीं टिका है।

एक महिला के आय प्रमाणपत्र के सत्यापन को मिली प्रशासनिक ठोकरें, यह लिहाज भी न कर पाई कि इससे कार्यसंस्कृति, व्यवस्था व सरकार की बदनामी होगी और एक अधिकारी ने एडीएम कोर्ट के आदेश को कारपेट के नीचे छुपा दिया। जो कार्य 22 दिसंबर 2022 को निचले स्तर पर सामान्य प्रक्रिया में हो जाना चाहिए था, उसे सवा साल बाद उच्च न्यायालय के निर्देश पर हल करने का न्याय मिल रहा है। यहां वाजिब सवाल यही है कि प्रशासनिक प्रक्रिया के कायदे-कानूनों में इतनी शिथिलता आ गई है कि आम नागरिक को अदालती प्रक्रिया के उच्च स्तर दूढ़ने पड़ेंगे। अगर इसी माथा रगड़ाई के चरित्र में हिमाचल का शासन-प्रशासन चलता रहा, तो अदालतों के दरवाजे पर समाज की जरूरतें आंसुओं से भीगी दिखाई देंगी। जाहिर तौर पर अदालत की टिप्पणी पर गौर फरमाते हुए प्रदेश सरकार को प्रशासनिक सुधारों की दृष्टि से हर दफ्तर को संवेदनशील, कार्यप्रणाली, पारदर्शिता और जवाबदेही के लिए सुधारों व नियमों की नई परिपाटी स्थापित करनी होगी।

बेशक पिछली सरकार ने जनमंचों की अंतहीन श्रृंखला खड़ी कर दी या मौजूदा सरकार ने 'सरकार गांव के द्वार' का अखंड पाठ शुरू कर दिया, लेकिन आनी प्रशासन के कान में अगर जू तक नहीं रेंगी, तो ऐसे प्रपंचों की क्या आवश्यकता। अगर सरकार अदालतों में फंसे मामलों में आम नागरिक के अनुभवों का संज्ञान ले तो मालूम हो जाएगा कि व्यवस्था के सुराखों से कितना दर्द बह रहा है। आश्चर्य यह कि जो राज्य अपने चुनावी वादों से सत्ता के इरादों तक सिर्फ कर्मचारियों के हितों की बात करता है, उसके प्रशासनिक बिछोने पर इतने कांटे छिपे हैं। कमोबेश यही हाल सार्वजनिक सेवाओं, स्थानीय निकायों तथा विकास के कार्यों का भी है। हम दरअसल सियासी वर्चस्व में प्रशासनिक कामकाज और व्यवस्था का परचम देख रहे हैं और सत्ता की अदलाबदली में स्थानांतरण के हथियार से कर्मचारियों व अधिकारियों को सबक सिखाने की कोशिश करते हैं। हम एक ही पोशाक में राजनीति और प्रशासन को अनुशासित व सक्षम नहीं बना सकते। अभी हाल ही में जिन नौ विधायकों को अयोग्य घोषित किया गया, उनके विधानसभा हलकों के अधिकारियों-कर्मचारियों को बदलने का कारण यही हो सकता है कि प्रशासन अब नेताओं की मिलकीयत की तरह चलता है। इसलिए कई बार फरियादी को नागरिक न मानकर उसे सियासी अखाड़े में देखकर काम होता है। इसका एक और उदाहरण नगर निगम धर्मशाला की महापौर का स्मार्ट सिटी प्रशासन के टकराव में देखा जा सकता है। कायदे से स्मार्ट सिटी के तहत प्रशासनिक व्यवस्था का एक राष्ट्रीय स्वरूप, मानदंड व मानिटिंग होनी चाहिए, लेकिन राजनीतिक अखाड़ेबाजी में नगर निगम के पार्षद या मेयर को अपनी मिलकीयत के तहत स्मार्ट सिटी परियोजनाओं का रुतबा चाहिए।

+91 99877 75650

editor@rokthoklekhani.com

Faisal Shaikh @faisalrokthok



youtube@rokthoklekhani

बच्चों को खुशहाल रखने के लिए हैप्पी सैटरडे उपक्रम होगा लागू...

मुंबई: महाराष्ट्र सरकार ने स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों का तनाव दूर करने और उन्हें खुशहाल रखने के लिए आनंददायक शनिवार (हैप्पी सैटरडे) उपक्रम लागू करने का निर्णय लिया है। पहली से आठवीं कक्षा तक के स्टूडेंट्स के लिए स्कूलों में हर शनिवार को हैप्पी सैटरडे उपक्रम मनाया जाएगा। इससे स्टूडेंट्स के अपने व्यवहार और कर्तव्य के प्रति जागरूकता पैदा की जाएगी। उनमें अच्छी आदतें, सहयोगात्मक रवैया, नेतृत्व का गुण विकसित करने में मदद मिलेगी। इस संबंध में स्कूली शिक्षा और खेल विभाग ने जीआर भी जारी कर दिया है। जीआर के मुताबिक,



राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का मुख्य उद्देश्य स्कूली बच्चों में तर्कसंगत सोच और कार्य करने में सक्षम, करुणा, सहानुभूति, साहस, लचीलापन, वैज्ञानिक सोच, रचनात्मक कल्पना, नैतिक मूल्यों वाले अच्छे इंसानों का विकास करना है। वर्तमान में स्टूडेंट्स

को कम उम्र में ही तनाव, अवसाद और चिंता जैसे मानसिक विकारों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में स्कूली जीवन में ही स्टूडेंट्स के लिए मनोरंजक गतिविधियों की जरूरत महसूस की जा रही थी। इसीलिए स्टेट बोर्ड के कक्षा 1 से 8वीं तक के सभी स्कूलों में हैप्पी सैटरडे उपक्रम को लागू करने के लिए प्रस्ताव सरकार के पास लंबित था। स्कूली शिक्षा विभाग के उपसचिव के मुताबिक, अगले शैक्षणिक वर्ष से स्टेट बोर्ड के स्कूलों में कक्षा 1 से 8वीं तक के स्टूडेंट्स के लिए हैप्पी सैटरडे उपक्रम को लागू किया जाएगा। इससे स्टूडेंट्स का मानसिक स्वास्थ्य

सरकार ने प्रस्ताव को मंजूरी दी

सरकार ने स्टूडेंट्स के हित को देखते हुए हैप्पी सैटरडे उपक्रम को लागू करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इस उपक्रम के अमल में आने से स्टूडेंट्स में सीखने में रुचि बढ़ेगी। इसका स्टूडेंट्स की गुणवत्ता पर निश्चित रूप से अच्छा प्रभाव पड़ेगा। साथ ही, स्कूलों में द्राप आउट स्टूडेंट्स की संख्या में कमी आएगी और स्टूडेंट्स के मानसिक स्वास्थ्य को सुरक्षित रखने और उन्हें बेहतर पढ़ाई कराने के प्रोत्साहन मिलेगा।

टीचर्स के लिए सर्कुलर जारी...जींस और टीशर्ट पहनने पर रोक

मुंबई: राज्य सरकार ने स्कूलों में शिक्षकों के पहनावे को लेकर सर्कुलर जारी किया है। इसमें शिक्षकों के जींस और टीशर्ट पहनने पर रोक लगाई गई है। इस सर्कुलर का शिक्षक यूनियनों ने विरोध किया है। उनके मुताबिक, राज्य सरकार को जबर्दस्ती ड्रेस कोड लागू नहीं करना चाहिए। सर्कुलर में कहा गया है कि शिक्षकों का पहनावा उनके व्यक्तित्व का अहम हिस्सा है और उसका दूसरों पर असर पड़ता है। इसलिए शिक्षकों से उनके पद के अनुरूप पहनावे की अपेक्षा की जाती है। ऐसे में शिक्षकों के पहनावे को लेकर गाइडलाइंस जारी की जा रही है। इसके अनुरूप स्कूलों को अपने सभी शिक्षकों के लिए एक ड्रेस कोड तय करना चाहिए। स्कूली शिक्षा और खेल विभाग के उपसचिव की तरफ से जारी सर्कुलर के अनुसार सभी बोर्ड के स्कूलों के शिक्षकों का पहनावा उनके



पद के अनुरूप होना चाहिए। शिक्षकों की पोशाक साफ होनी चाहिए।

महिला शिक्षकों को सलवार, कुर्ता, दुपट्टा पहनना चाहिए। पुरुष शिक्षकों को शर्ट और ट्राउजर पैट पहनना चाहिए। शर्ट को इन किया होना चाहिए। ग्राफिक डिजाइन और पेंटिंग वाला कपड़ा नहीं होना चाहिए। साथ ही शिक्षकों को स्कूल में जींस और टी-शर्ट नहीं पहननी चाहिए। सभी शिक्षकों के लिए स्कूल द्वारा एक ही ड्रेस कोड तय किया जाना चाहिए। इसमें पुरुष और महिला शिक्षकों द्वारा पहनी जाने

वाली पोशाक का रंग निर्धारित करना चाहिए। पुरुष शिक्षकों के पहनावे में हल्के रंग का शर्ट और गाढ़े रंग का पैट होना चाहिए। महिला और पुरुष शिक्षकों के पोशाक पर शोभा देने वाले फुटवेयर पहनने चाहिए। पुरुषों को जूते पहनने चाहिए। स्काउट गाइड शिक्षक को स्काउट गाइड ड्रेस पहनना होगा। अगर मेडिकल कारणों से शिक्षकों को जूते पहनने पर कोई परेशानी हो, तो उसे जूते पहनने से छूट देना चाहिए।

ड्रेस कोड का शिक्षकों ने विरोध किया है। महाराष्ट्र राज्य शिक्षक परिषद मुंबई के कार्यकारी अध्यक्ष शिवनाथ दराडे का कहना है कि शिक्षकों पर ड्रेस कोड थोपा नहीं जाना चाहिए। यह शिक्षकों से सुझाव लेकर तय किया जा सकता था। वैश्वीकरण के इस युग में शिक्षकों पर किसी एक विशिष्ट ड्रेस कोड, रंग आदि जबर्दस्ती नहीं थोप सकते हैं।

स्कूलों में शनिवार को प्राणायाम और योग

शिक्षा विभाग के मुताबिक, स्कूलों में हर शनिवार को जीवन जीने की शैली सिखाया जाएगा। इसमें प्राणायाम, योग, ध्यान, सांस लेने की तकनीक, आपदा प्रबंधन में बुनियादी सिद्धांत और व्यावहारिक प्रशिक्षण, दैनिक जीवन में वित्तीय प्रबंधन, स्वयं के स्वास्थ्य की रक्षा के उपाय, सड़क सुरक्षा, समस्या समाधान तकनीक, क्रिया, खेल पर आधारित एक्टिविटीज, माइंडफुलनेस पर आधारित एक्टिविटीज और रिलेशनशिप मैनेजमेंट स्किल शामिल होगा।

अच्छा बनाए रखने में मदद मिलेगी। उनमें सामाजिक, भावनात्मक कौशल विकसित किया जा सकेगा। स्कूल स्तर पर स्टूडेंट्स को स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए सशक्त बनाने में मदद मिलेगी। स्टूडेंट्स में कम्युनिकेशन स्किल्स विकसित करने में मदद मिलेगी।

पैराशूट ग्लायडिंग और ड्रोन उड़ानों पर प्रतिबंध

ठाणे : कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा की जमीनी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। उनकी यात्रा को हवाई सुरक्षा प्रदान करने के लिए ठाणे जिले में पैराशूट ग्लायडिंग और ड्रोन उड़ाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। यह यात्रा शुक्रवार 15 मार्च को भिवंडी के सोनाले गांव में रुकने के बाद 16 मार्च को ठाणे शहर आयुक्तालय में प्रवेश करने वाली है। राहुल गांधी को जेड प्लस सुरक्षा प्राप्त है। इसी के मद्देनजर ठाणे में यात्रा पूरी होने तक कानून व्यवस्था अवधित रहे, इसके लिए ड्रोन उड़ाने और पैराशूट ग्लायडिंग करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। यह प्रतिबंध 16 मार्च को दोपहर एक बजे तक लागू रहेगा। भारतीय दंड विधान की धारा 1973 के कलम 144 (9) के तहत यह आदेश ठाणे जिला अधिकारी अशोक शिनगारे ने दिया है।

चोरों ने नहीं छोड़ा भगवान को भी, ठाणे में चांदी की 3 मूर्तियां चोरी

ठाणे : महाराष्ट्र में ठाणे जिले के डोंबिवली इलाके में एक अज्ञात महिला ने एक मंदिर से 40,000 रुपये मूल्य की चांदी की तीन मूर्तियां कथित तौर पर चुरा लीं। पुलिस ने शनिवार को यह जानकारी दी। पुलिस ने बताया कि घटना

बृहस्पतिवार दोपहर करीब एक बजे खंबलपाड़ा के भोईरवाडी स्थित शिव मंदिर में हुई। डोंबिवली पूर्व में तिलक नगर थाने के एक अधिकारी ने बताया कि मंदिर की देखरेख करने वाले एक शख्स की ओर से पुलिस को दी गई शिकायत



के आधार पर अज्ञात महिला के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की संबंधित धाराओं में मामला दर्ज किया गया है। उन्होंने बताया कि चोरी की गई मूर्तियों का कुल वजन 450 ग्राम है और आरोपी को पकड़ने के प्रयास जारी हैं।

नवी मुंबई में छोटी बच्ची के अपहरण के मामले में 1 गिरफ्तार... एक फरार



नवी मुंबई: कोपरी इलाके से तीन साल की बच्ची का अपहरण कर लिया गया। इसकी जानकारी मिलने के बाद बच्ची को ढूँढने के लिए त्वरित कार्रवाई शुरू कर दी गई है। एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। इस मामले में एक अन्य आरोपी अभी भी फरार है। गिरफ्तार आरोपी का नाम साहिल म्हात्रे है। कोपरी सेक्टर 26 में पुनीत कॉर्नर बिल्डिंग के पास एकता नगर झुग्गी में रहने वाली तीन साल की बच्ची को साहिल ने उस वक्त

अपहरण कर लिया, जब वह खेल रही थी और उसे खिलाने के बहाने अपने पास बुलाया। एपीएमसी पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज होते ही वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक अजय शिंदे ने घटना की गंभीरता को देखते हुए तीन टीमों का गठन किया था। दूसरी टीम तकनीकी जांच कर रही थी। सीसीटीवी और अपहरण के समय उस स्थान पर मोबाइल फोन की लोकेशन और घटना को देखने वाले लोगों द्वारा दी गई जानकारी जैसी चोतरफा जांच शुरू की गई।

ईडी 25,000 करोड़ रुपये, एमएससीबी घोटाले में क्लोजर रिपोर्ट का विरोध किया



मुंबई: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 25,000 करोड़ रुपये के महाराष्ट्र राज्य सहकारी बैंक (एमएससीबी) घोटाले में आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) की क्लोजर रिपोर्ट का विरोध करते हुए अदालत में हस्तक्षेप आवेदन दायर किया है।

यह दूसरी बार है जब एजेंसी ने इस तरह का आवेदन दायर किया है। पहला मामला चार साल पहले खारिज कर दिया गया था जब मामले की जांच चल रही थी।

वाहन चालक से दो हजार रिश्वत मांगने के आरोप में पुलिस सब-इंस्पेक्टर गिरफ्तार

मुंबई: रिश्वत निरोधक विभाग की मुंबई टीम ने एक वाहन चालक से रिश्वत मांगने के आरोप में एक यातायात पुलिस उप-निरीक्षक को गिरफ्तार किया है। आरोपी पुलिस अधिकारी की पहचान फ्रांसिस रेगो के रूप में हुई है और वह सहर यातायात विभाग में तैनात है। आरोप है कि अधिकारी ने नियमों का उल्लंघन करने पर ड्राइवर के खिलाफ कार्रवाई नहीं करने के लिए रिश्वत की मांग की। शिकायतकर्ता के पास दो चार पहिया वाहन हैं और उन वाहनों का उपयोग एक निजी कंपनी में काम के लिए किया जाता है। गुरुवार को अंधेरी इलाके में ट्रैफिक नियमों का



उल्लंघन करने पर ड्राइवर ने गाड़ी जब्त कर ली थी। इसके बाद पुलिस ने वाहन पर 17000 रुपये का जुमाना लंबित पाया।

इसके बाद आरोपी ट्रैफिक पुलिस सब-इंस्पेक्टर ने उनसे 50 हजार रुपये की रिश्वत की मांग की। इसी बीच ड्राइवर ने शिकायतकर्ता से संपर्क किया और घटना के बारे में बताया।

शिकायतकर्ता को पता चला कि गाड़ी छोड़ने के लिए 2000 रुपये की रिश्वत मांगी जा रही है। चूंकि शिकायतकर्ता रिश्वत नहीं देना चाहता था, इसलिए उसने रिश्वत निरोधक विभाग से संपर्क किया। अधिकारियों ने कहा कि उसी दिन एक लिखित शिकायत भी दर्ज की गई थी। शिकायतकर्ता द्वारा लगाए गए आरोपों की पुष्टि करने पर जांच अधिकारियों ने पाया कि सब-इंस्पेक्टर फ्रांसिस ने रिश्वत की मांग की थी। तदनुसार, एक जाल बिछाया गया और आरोपी सब-इंस्पेक्टर रेगो को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया। रेगो के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा के तहत मामला दर्ज किया गया है।

विरार में 40 वर्षीय युवक की हत्या



विरार: विरार पुलिस स्टेशन क्षेत्र में एक 40 वर्षीय शख्स की दर्दनाक हत्या होने की घटना सामने आई है। इस घटना से क्षेत्र में सनसनी फैल गयी है। हालांकि आगे की जांच पुलिस द्वारा किया जा रहा है। मिली जानकारी के अनुसार, दीपक उमेश चौहान विरार पूर्व में रहता था। जानकारी के अनुसार कि, 14-15 मार्च को

सुबह 07:13 बजे तक दरम्यान नारंगी कोपरी में खदान के पास से गुजरने वाली कच्ची सड़क पर दीपक की किसी अज्ञात अभियुक्त ने अज्ञात कारणों से किसी पथरों से चेहरे पर गंभीर चोटें पहुंचा कर उसकी हत्या कर दी। सूचना मिलते ही विरार पुलिस ने घटनास्थल पहुंच कर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस के मुताबिक, उपरोक्त घटनास्थल पर डीसीपी सुहास बावचे, एसीपी बजरंग देसाई, वरिष्ठ पी. आई. विजय पवार व पुलिस निरीक्षक प्रकाश मासाल ने घटना का निरीक्षण किया है।

मुंबई नगर निगम के अस्पतालों में 30 फीसदी कर्मचारियों की चुनाव में नियुक्ति से स्वास्थ्य सेवाओं पर असर पड़ने की आशंका...

मुंबई: लोकसभा चुनाव के काम के लिए सरकारी दफ्तरों के कर्मचारियों को नियुक्त किया गया है। इसलिए, मुंबई नगर निगम के पांच मेडिकल कॉलेजों और अन्य उपनगरीय अस्पतालों के लगभग 30 प्रतिशत कर्मचारियों को चुनाव कार्य के लिए नियुक्त किया गया है। ऐसे में मुंबई नगर निगम में स्वास्थ्य सेवा प्रभावित होने का अनुमान है।

मराठा आरक्षण के लिए किए गए सर्वेक्षण के बाद शिव, नायर, कूपर, केईएम और नायर डेंटल कॉलेजों के साथ स्वास्थ्य विभाग के लगभग 800 कर्मचारियों को चुनाव कार्य के लिए नियुक्त किया गया है। इसमें प्रशासनिक कर्मचारियों के साथ-साथ निचले चिकित्सा कर्मचारी और तकनीशियन भी शामिल हैं। नगर निगम के एक वरिष्ठ अधिकारी ने



कहा कि केईएम अस्पताल के 130 कर्मचारी, शिव अस्पताल के 110 कर्मचारी, नायर अस्पताल के 100 कर्मचारी, कूपर अस्पताल के 30 कर्मचारी और नायर डेंटल कॉलेज के 100 कर्मचारी और स्वास्थ्य विभाग के 200 कर्मचारियों को चुनाव कार्य के लिए नियुक्त किया गया है। ऐसे में अस्पताल में स्वास्थ्य सेवा प्रभावित होने का अनुमान है।

अस्पताल के प्रयोगशाला तकनीशियनों को चुनाव कार्य में तैनात करने से मरीजों को रक्त, सीटी स्कैन, एमआरआई रिपोर्ट मिलने में देरी हो रही है। इसके अलावा ऐसे संकेत भी हैं कि नर्सों की भर्ती का सीधा असर मरीजों की देखभाल पर पड़ेगा। साथ ही प्रशासनिक कर्मचारियों की नियुक्ति के कारण अवकाश आवेदन, सेवानिवृत्ति कार्य भी रुकने की आशंका है। चुनाव आयोग के आदेशानुसार कर्मचारियों को चुनाव कार्य में भेजना अनिवार्य है। मुंबई नगर निगम के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, लेकिन स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों को चुनाव कार्य के लिए भेजते समय हम इस बात का ध्यान रख रहे हैं कि सेवा प्रभावित न हो और मरीजों को परेशानी न हो।

मनपा आयुक्त के बंगले का 4.56 लाख टैक्स बकाया...

मुंबई: मनपा ने प्रॉपर्टी टैक्स नहीं भरने वाले लोगों की संपत्ति जब्त करने की कार्रवाई मनपा करती है। मनपा ने अभी एक दिन पूर्व मुंबई के टॉप 10 बकाएदारों की सूची जारी कर प्रॉपर्टी टैक्स नहीं भरने पर उनकी संपत्ति जब्त कर नीलम करने की चेतावनी दी है लेकिन अब आर टी आई में खुलासा हुआ है कि मनपा आयुक्त के बंगले का ही 4.56 लाख रुपये का टैक्स बकाया है। आरटीआई कार्यकर्ता अनिल गलगली ने पिछले 5 वर्षों में मनपा आयुक्त के बंगले में पानी सुविधा के लिए किए गए खर्च की जानकारी मांगते हुए हर महीने कुल पानी खपत की जानकारी मांगी थी। प्रशासन ने इस आवेदन को डी



वॉर्ड के जल विभाग को भेज दिया था। जल विभाग ने आवेदन को प्रॉपर्टी टैक्स विभाग को स्थानांतरित कर दिया। मनपा द्वारा दी गई जानकारी में बताया गया कि 1 अप्रैल 2010 से 31 मार्च 2023 तक 3.89 लाख रुपये और 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024 तक 67.278 रुपये बकाया है।

सड़क कार्यों के लिए तीसरी बार टेंडर... शहर में सड़कों की मरम्मत अब मानसून के बाद ही, 1 साल से काम विवादों में है

मुंबई: शहर में सड़क का काम मानसून से पहले शुरू नहीं हो पाएगा. नगर निगम प्रशासन ने अब इन कार्यों के लिए तीसरी बार टेंडर आमंत्रित किए हैं। करीब 1362 करोड़ रुपये के काम के लिए टेंडर आमंत्रित किये गये हैं. टेंडर प्रक्रिया लागू होने के बाद वास्तव में काम शुरू होने में समय लगेगा। इसलिए मानसून से पहले इन कामों के शुरू होने की संभावना कम है. मुंबई में शहरी सड़कों का सीमेंट कंक्रीटिंग कार्य पिछले साल से विवादों में है। इसके बाद इन रुके हुए कामों के लिए दोबारा निकाले गए टेंडर का मामला कोर्ट तक पहुंच गया. इसके चलते नगर क्षेत्र में सड़क का काम नहीं हो सका। साथ ही रुके हुए कार्यों के लिए नई टेंडर प्रक्रिया भी अमल में नहीं लाई जा सकी है। नगर पालिका के सड़क विभाग द्वारा एक



फरवरी को शहर में सड़क कार्यों के लिए बुलाई गई निविदाओं का जवाब नहीं मिलने के कारण एक बार फिर निविदाएं आमंत्रित की गई हैं। इस कार्य के लिए निविदाएं 5 अप्रैल तक प्रस्तुत की जा सकेंगी।

अगले दो साल में मुंबई की सड़कों को गड्ढा मुक्त बनाने का संकल्प लेते हुए मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने नगर निगम प्रशासन को सभी सड़कों को सीमेंट कंक्रीट से बनाने का निर्देश दिया था। इसके मुताबिक 6,078 करोड़ के कार्यों के लिए निविदाएं आमंत्रित की गईं. इन कार्यों के लिए पांच प्रतिष्ठित

ठेकेदारों का चयन किया गया और जनवरी माह में ठेकेदारों को कार्यादेश दे दिये गये। जनवरी 2023 में, प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने सड़क कार्यों की आधारशिला रखी। लेकिन हकीकत में ये काम जारी नहीं रह सके. इसलिए, नगर पालिका ने नए ठेकेदारों की नियुक्ति के लिए निविदाएं आमंत्रित की हैं। यह तीसरी बार है जब इस कार्य के लिए निविदाएं आमंत्रित की गई हैं। 1234 करोड़ का काम ठेकेदार रोडवे सॉल्यूशंस इंडिया इंफ्रा लिमिटेड (आरएसआईएल) को दिया गया।

पृष्ठभूमि क्या है?

1. नगर पालिका ने पूरी मुंबई में सड़कों को कंक्रीट करने का काम अपने हाथ में ले लिया है। शहरी खंड में काम ठेकेदार 'रोडवे सॉल्यूशंस इंडिया इंफ्रा लिमिटेड' को दिया गया था। लेकिन काम शुरू नहीं करने पर ठेकेदार को बार-बार नोटिस दिया गया। जुमाना भी लगाया गया।
2. ठेकेदार ने काम शुरू नहीं किया है। इसलिए अक्टूबर माह में ठेकेदार से काम वापस लेने का नोटिस जारी किया गया था। इस नोटिस के बाद ठेकेदार ने सुनवाई की मांग की. नगर निगम प्रशासन ने ठेकेदार को सुनवाई के लिए बुलाया था। लेकिन ठेकेदार सुनवाई में नहीं आया. उन्होंने सुनवाई के लिए आगे की तारीख मांगी.
3. कमिश्नर ने ठेकेदार को आगे की सुनवाई दिए बिना 9 नवंबर 2023 को अनुबंध रद्द करने की मंजूरी दे दी। आयुक्त ने यह भी घोषणा की कि शहर में सड़क कार्यों के लिए नई निविदाएं आमंत्रित की जाएंगी।
4. ठेकेदार ने ठेका रद्द करने के लिए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. इसलिए, प्रशासन नए सिरे से निविदाएं बुलाने के लिए कदम उठा रहा है। आखिरकार दिसंबर में सड़क विभाग ने इस काम के लिए टेंडर आमंत्रित किये.
5. कोर्ट ने टेंडर प्रक्रिया पर रोक लगा दी और ठेकेदार को निर्णय लेने को कहा. नगर पालिका ने ठेकेदार का पक्ष सुना और ठेका रद्द कर 64 करोड़ रुपये का जुमाना लगाया. ठेकेदार का पक्ष सुनकर कोर्ट ने नगर पालिका के फैसले में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया।

पनवेल पर 1300 सीसीटीवी की नजर... नगर पालिका कैमरा, कंट्रोल रूम के लिए करीब 120 करोड़ रुपये करेगी खर्च



पनवेल: मनपा क्षेत्र में चोरों की बढ़ती संख्या, महिलाओं की सुरक्षा और ट्रैफिक जाम को नियंत्रित करने के लिए मनपा प्रशासन शहर भर में 1300 सीसीटीवी कैमरे लगाने जा रहा है. कैमरे और कंट्रोल रूम के लिए नगर पालिका करीब 120 करोड़ रुपये खर्च करने जा रही है। नगर पालिका ने गुरुवार को इस संबंध में टेंडर जारी कर दिया है। पनवेल नगर निगम की स्थापना के बाद से, पुलिस विभाग की ओर से नगर निगम क्षेत्र में सीसीटीवी कैमरों का एक नेटवर्क स्थापित करने की मांग की जा रही थी। हाल ही में नवी मुंबई पुलिस कमिश्नर मिलिंद भारंबे ने भी इस बात पर जोर दिया था. इस संबंध में आयुक्त भारंबे और मनपा आयुक्त व प्रशासक गणेश देशमुख के बीच हुई चर्चा के बाद सीसीटीवी लगाने की प्रक्रिया तेज कर दी गयी. शहर के मुख्य चौराहों और सार्वजनिक स्थानों पर कैमरे लगाए जाएंगे। इन कैमरों में होने वाली

गतिविधियों पर नजर रखने के लिए कैमरों को पुलिस विभाग के कंट्रोल रूम से जोड़ा जाएगा। पनवेल कॉर्पोरेशन के मुख्यालय में कैमरों के लिए एक अलग नियंत्रण कक्ष होगा। कैमरों से पुलिस को ट्रैफिक जाम की समस्या से निजात पाने में मदद मिलेगी। शहर में पिछले दो साल में राह चलते मोबाइल फोन चोरी और मंगलसूत्र चोरी की घटनाएं हुई हैं। पुलिस के पास सीसीटीवी नहीं होने के कारण चोर का पता लगाना मुश्किल हो गया. 120 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है.

हाल ही में बजट पेश किया गया. नगर पालिका ने बताया कि महिला सशक्तिकरण और महिला सुरक्षा के लिए प्राथमिकता का प्रावधान किया गया है। इसका एक उद्देश्य शहर भर में सीसीटीवी नेटवर्क और नियंत्रण कक्ष स्थापित करके शहर के नागरिकों और विशेष रूप से महिलाओं को सुरक्षित करना है। - गणेश देशमुख, आयुक्त, पनवेल नगर पालिका

अंधेरी स्थित कोकिलाबेन अस्पताल की 150 करोड़ फीस माफ

मुंबई: महंगे इलाज के लिए मशहूर अंधेरी स्थित कोकिलाबेन अंबानी अस्पताल को जमीन ट्रांसफर मामले में सरकार ने करीब 150 करोड़ रुपये की फीस माफ कर दी है. उपनगरीय जिला कलेक्टर ने हाल ही में इस मामले को बंद करने के लिए 'मालती वसंत हार्ट ट्रस्ट' को एक पत्र भेजा है। हालांकि, अस्पताल में कुछ जगह के व्यावसायिक इस्तेमाल के लिए 53 करोड़ रुपये का जुमाना लगाया गया है और इसे तुरंत भुगतान करने का आदेश दिया गया है. इसके



अलावा व्यावसायिक उपयोग के लिए हर साल लाइसेंस शुल्क का भुगतान करने का आदेश दिया गया है. अंधेरी पश्चिम में एक रणनीतिक स्थान पर स्थित लगभग 12 हजार 50 वर्ग मीटर का भूखंड दिसंबर 1997 में तत्कालीन शिवसेना-

भाजपा गठबंधन सरकार ने प्रसिद्ध हृदय रोग विशेषज्ञ डॉ. नीतू मांडके का मालती वसंत हार्ट ट्रस्ट 30 वर्षों के लिए एक रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से। शिवसेना प्रमुख बालासाहेब ठाकरे की सफल हृदय सर्जरी करने के लिए, मांडके को आम जनता के

लिए हृदय रोग अनुसंधान केंद्र और अस्पताल स्थापित करने की साजिश दी गई थी। लेकिन जब अस्पताल का निर्माण आधा हो गया तो डॉ. मांडके का निधन हो गया. इस निर्माण को पूरा करने का बीड़ा उठाया अनिल अंबानी की कंपनी ने. उन्होंने अस्पताल का निर्माण पूरा कराया और अस्पताल का नाम 'कोकिलाबेन अंबानी अस्पताल' रखा। डॉ. मालती वसंत हार्ट ट्रस्ट। मांडके की पत्नी डॉ. अलका मांडके को छोड़कर अन्य ट्रस्टियों को बदल दिया गया।

वसई के चोर सेंधमारी कर भागे... नासिक से गिरफ्तार



वसई : वसई पश्चिम आनंद नगर इलाके के एक घर में चोरी कर गोरखपुर एक्सप्रेस से भागे गिरोह को 72 घंटे के अंदर नासिक रोड रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार कर लिया गया है। मानिकपुर और नासिक रोड रेलवे पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में गिरोह के तीन सदस्यों को गिरफ्तार करने में सफलता मिली है और सोने-चांदी के गहने और नकदी सहित सात लाख 52 हजार का कीमती सामान जब्त किया है।

वसई पश्चिम के आनंद नगर में

हफ्ता नहीं दिया तो चाकू घोंप दूंगा

भिवंडी : भिवंडी के पद्मानगर न्यु कणेरी के एक व्यवसायी को इसी परिसर के रहने वाले एक युवक ने चाकू दिखाकर हफ्ता मांगने व दरमाह हफ्ता ना देने पर जान से मार देने की धमकी देने का मामला प्रकाश में है।



इस धमकी के डरे दुकानदार ने इसकी शिकायत भिवंडी शहर पुलिस स्टेशन में दर्ज करवा है। पुलिस ने धमकी देने वाले युवक सूरज आगाम के खिलाफ आईपीसी की धारा 387,504 सहित फौजदारी (सुधारणा) कायदा 2013 कलम 7 के तहत केस दर्ज कर लिया है। किन्तु अभी तक उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई है। पुलिस के मुताबिक न्यु कणेरी,

पद्मानगर में अंजूर फाटा के रहने वाले राजू रतिलाल विसरिया का आर.एल. विसरिया ऑइल सेंटर दुकान नामक दुकान है। कल सुबह 10 बजे के दरमियान जब राजू विसरिया ने दुकान नामक 25 वर्षीय युवक हाथ में धारदार चाकू लेकर आया और 1,500 रुपए हफ्ता मांगा और दरमाह 7 हजार रुपए हफ्ता देने के लिए कहा।